अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
	न्यायालय- अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल ।	
	वाद सं0- 516/11· / 122/12· धारा-145 दं0 प्र0 सं0	
	अशोक कुमार बनाम् ऋषीमुनी सिंह वगैरह	
	= आदेश = -------0------	
24/1/12·	पृथम पक्ष को सुना । यह कार्यवाही पृथम पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है ।	
	पृथम पक्ष का कहना है कि पृश्नगत खाता- 47, प्लौट नं0-328, रकवा-4 डी0 जमीन पृथम पक्ष के पिता-स्व0 नाथुन सिंह के नाम से चकबन्दी के द्वारा प्राप्त है । जो 80 वर्षों से पूर्व से मकान बना कर रह रहे है । लेकिन विपक्षीगण जबरदस्ती ईंट के पक्का मकान बनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है।	
	द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित तो हुए लेकिन अपने कागजी सबूत के रूप में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाये है ।	
	पृथम पक्ष के तरफ से तीन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । पृथम गवाह कमाख्या सिंह अपने परीक्षण में कहते है कि डिमाण्ड पृथम पक्ष के	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
	=2= पिता के नाम से कायम है । एवं प्रथम पक्ष 5-$\frac{1}{2}$ फीट रास्ता छोड़े हुए है । दूसरा गवाह अशोक कुमार अपने परीक्षण में बताते है कि एवं दोनों पक्ष में दरवाजा बन्द करने को लेकर तनाव है ।एवं तीसरे गवाह - जितेन्द्र कुमार है जिन्होंने चकबन्दी द्वारा निर्गत पर्चा को बताते है कि 04 डी0 भूमि नाथुन सिंह,अशोक सिंह के बाबुजी के नाम से है । लेकिन चकबन्दी कागजात में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है कि नाथुन सिंह का प्लौट कौन सा है । ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त कि जाती है । लेखापित एवं संशोधित, 24/1/12 24/1/12 कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल । कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल ।	